भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय ,राजस्व विभाग
MINISTRY OF FINANCE ,DEPARTMENT OF REVENUE
सतर्कता महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क
Directorate General of Vigilance, Customs & Central Excise
सम्राट होटल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021
Samrat Hotel, Chankyapuri, New Delhi-110021

F.No. V-500/203/2017

Dated .03.2017

To,

All Chief Commissioner of Customs & Central Excise
All Directors General under Central Board of Excise & Customs

Sub: Preparation of panel for vacancies/anticipated vacancies of Group 'B' & 'C' officers for Hqrs. of Directorate General of Vigilance at New Delhi on Deputation basis-Reg.

Sir/Madam,

It is proposed to draw a panel of suitable and eligible officers for the following posts against the vacancies/anticipated vacancies in the Hqrs. of this Directorate.

S.No.	Designation	Pay Matrix level no. (Acc. to 7th Pay Commission)
1.	Superintendent	Level 8 (Grade pay 4800)
2.	Inspector	Level 7 (Grade pay 4600)

2. These posts are to be filled up on deputation basis by drawing suitable officers in the grade of Superintendent, Inspector of Central Excise, Service Tax and Customs and the officers holding analogous posts in the Commissionerates/Directorates under CBEC in the same pay scale. The age of the officer shall not exceed 56 years as on closing date of this circular.

3. Such officers selected for a posting in the Directorate General of Vigilance would normally be appointed for a period of 3 years but extendable upto 5 years.

4. It is requested that applications of the interested and eligible officers may be forwarded to this Directorate General with their particulars viz. name, address, educational qualification, date of birth, History of posting, present post & the date from which it is held, scale of pay, experience alongwith synopsis of their ACR grading of the last 5 years and "No Objection Certificate" from the concerned Commisisonerate/Directorate General within 90 days from the date of issue of the circular. It may also be brought to the notice of the willing officers that once they are selected, they will not be allowed to withdraw their candidature. It may also be certified that no vigilance case is pending or being contemplated against any such officer.

5. In case, while working in this Directorate General the work and conduct of the officer is not found to be satisfactory, the officer can be reverted to the parent Commissionerate/Directorate before completion of the deputation period.

6. It is requested that this letter may be widely circulated among the officers under your jurisdiction.

7. This circular is also available on official website of CBEC (www.cbec.gov.in).

Yours faithfully,

4.3.17

(Neeta Lall Butalia)
Additional Director General

Copy to:

1. Additional Director General, Directorate General of System, Customs & Central Excise, Hotel Samrat, New Delhi for uploading the letter on CBEC website.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय ,राजस्व विभाग
MINISTRY OF FINANCE ,DEPARTMENT OF REVENUE
सतर्कता महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क
Directorate General of Vigilance, Customs & Central Excise
सम्राट होटल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021
Samrat Hotel, Chankyapuri, New Delhi-110021

27 MAR 2017

फा. सं. V-500/203/2017 /3231

दिनांक 22.03.2017

सेवा में,

मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क व केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सभी)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

इस महानिदेशालय के मुख्यालय कार्यालय में निम्नलिखित रिक्तियों/संभावित रिक्तियों के लिए उपयुक्त तथा पात्र अधिकारियों का पेनल बनाया जाना प्रस्तावित है:

क्र.सं.	पदनाम	पे मैट्रिक्स लेवल (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)
1.	अधीक्षक	लेवल 8 (ग्रेड वेतन 4800)
2.	निरीक्षक	लेवल 7 (ग्रेड वेतन 4600)

2. यह पत्र प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमा शुल्क में अधीक्षक, निरीक्षक ग्रेड के उपयुक्त अधिकारियों तथा समान वेतनमान में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क के अधीन आयुक्तालयों/निदेशालयों के सदृश्य पदधारी अधिकारियों से भरे जाएंगे। इस परिपत्र की अंतिम तिथि को अधिकारी की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. सतर्कता महानिदेशालय में पदस्थापना के लिए इस प्रकार से चयनित अधिकारियों को सामान्यतः 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा परंतु जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

4. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक तथा पात्र अधिकारियों के आवेदन उनके विवरण यथा नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, पोस्टिंग हिस्ट्री, वर्तमान पद तथा इसके धारित किए जाने की तिथि, वेतन मान, पिछले 5 वर्षों की APAR ग्रेडिंग के सारांश सहित अनुभव तथा संबंधित आयुक्त/महानिदेशक के "अनापत्ति प्रमाण पत्र" सहित इस महानिदेशालय को इस परिपत्र के जारी किए जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अग्रेषित किए जाएँ। इच्छुक अधिकारियों की जानकारी के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक बार चयनित होने के पश्चात

उन्हें अपनी उम्मीदवारी वापिस लिए जाने कि अनुमति नहीं होगी। यह भी प्रमाणित किया जाए कि ऐसे किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित नहीं है अथवा उस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

5. यदि, इस महानिदेशालय में कार्य किए जाने के दौरान अधिकारी का कार्य तथा आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता तो प्रतिनियुक्ति अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही अधिकारी को उसके मूल आयुक्तालय/निदेशालय में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

6. आपके क्षेत्राधिकार के अधिकारियों के मध्य इस पत्र को व्यापक रूप से परिचालित किए जाने का अनुरोध किया जाता है।

7. यह परिपत्र केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क कि विभागीय वेबसाइट (www.cbec.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

भवदीया,

21.3.17

(नीता लाल बुटालिया)

अपर महानिदेशक

प्रतिलिपि:

1. अपर महानिदेशक, प्रणाली महानिदेशालय , सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सम्राट होटल, नई दिल्ली को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के लिए।